न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

पीठासीन अधिकारीः— श्री शत्रुघ्न सिंह गुर्जर (आरएएस)

निर्णय

प्रकरण सख्या : 115/2020
बउनवानः—

विजयलक्ष्मी पुत्री शिशूपाल मीणा निवासी हरसौली तह0 मांगरोल

...वादनी

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, आर0टी0एक्ट0

वकील वादनी : श्री हरिओम प्रजापत
दायरा दिनांकः 27.10.2020

निर्णय दिनांक : 14.07.2021

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादनी के खाते की पुश्तैनी आराजी वाके ग्राम हरसौली तहसील मांगरोल जिला बारां में स्थित खाता संख्या 22 की खसरा नं0 126 रकबा 0.55 है0, खसरा नं0 237 रकबा 0.35 है0, खसरा नं0 238 रकबा 2.61 है0, खसरा नं0 415 रकबा 1.51 है0, खसरा नं0 468 रकबा 1.51 है0, खसरा नं0 470/502 रकबा 0.09 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 5.71 है0 आराजी स्थित है। वर्णित आराजी में वादनी का हिस्सा 1/5 दर्ज है। जिस पर वादनी बतौर खातेदार कृषक दर्ज है। वर्णित आराजी के राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में वादनी का नाम लक्ष्मीबाई पुत्री शिशूपाल दर्ज हो रहा है जबकी वादनी का वास्तविक व पूरा नाम विजयलक्ष्मी है। वादनी अपने खाते में अपने नाम को सही करवाने की अधिकारी है। वादनी के समस्त राजकीय दस्तावेजात जिनमें आधार कार्ड, राशन कार्ड, अंकतालिका माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, जाति प्रमाण पत्र आदि में वादनी का नाम विजयलक्ष्मी ही दर्ज है। मात्र राजस्व रेकार्ड जमाबंदी खाता संख्या 22 वाके ग्राम हरसौली में वादनी का गलत इन्द्राज हो रहा है। जिसको वादनी खाते में दुरूस्त करवाकर सही नाम विजयलक्ष्मी दर्ज करवाना चाहती है। अतः निवेदन है कि उक्त वर्णित आराजी में वादनी का नाम लक्ष्मी बाई के स्थान पर सही नाम विजय लक्ष्मी दर्ज करने के आदेश फरमावें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 27.10.2020 को दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादी तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार भी है को रिपोर्ट हेतु तबल किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) ने अपने पत्र कमांक/राजस्व/2020/570 दिनांक 05.11.2020 से जवाब प्रस्तुत किया जिसके अनुसार राजस्व रेकार्ड ग्राम हरसौली में खाता संख्या 22 की

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज0)

Scanned by CamScanner

खसरा नं0 126 रकबा 0.55 है0, खसरा नं0 237 रकबा 0.35 है0, खसरा नं0 238 रकबा 2.61 है0, खसरा नं0 415 रकबा 1.51 है0, खसरा नं0 468 रकबा 1.51 है0, खसरा नं0 470/502 रकबा 0.09 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 5.71 है0 में वादनी का हिस्सा 1/5 जाति मीना निवासी हरसोली खातेदार दर्ज है प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात आधार कार्ड, राशन कार्ड, अंकतालिका माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, जाति प्रमाण पत्र आदि में वादनी का नाम विजय लक्ष्मी पुत्री शिशुपाल ही दर्ज है। अतः राजस्व रेकार्ड में लक्ष्मी के स्थान पर विजय लक्ष्मी पुत्री शिशुपाल दुरूस्त किये जाने की अनुशंषा की जाती है।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो का आद्योपान्त अध्ययन, अवलोकन व मनन किया गया। वकील वादी की दिनांक 14.07.2021 को एक पक्षीय बहस सुनी गयी। अधिवक्ता वादनी ने अपनी बहस में उन्ही तथ्यों का कथन किया जिनका उनके द्वारा अपने वाद पत्र में अंकन किया गया है तथा वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में आधार कार्ड, राशन कार्ड, अंकतालिका माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, जाति प्रमाण पत्र आदि से भी वादनी का नाम विजय लक्ष्मी पुत्री शिशुपाल होना जाहिर होता है। दस्तावेजात के पक्ष में गवाह स्वयं वादनी व चन्द्रकला पत्नि शिशुपाल जाति मीना निवासी हरसोली, सोनम पुत्री शिशुपाल जाति मीना निवासी हरसोली तहसील मांगरोल के बयान करवाये गयें। अतः तहसीलदार मांगरोल की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजात व दिनांक 14.07.2021 को अधिवक्ता वादनी की सुनी गयी बहस के आधार पर ग्राम हरसौली में खाता संख्या 22 की खसरा नं0 126 रकबा 0.55 है0, खसरा नं0 237 रकबा 0.35 है0, खसरा नं0 238 रकबा 2.61 है0, खसरा नं0 415 रकबा 1.51 है0, खसरा नं0 468 रकबा 1.51 है0, खसरा नं0 470/502 रकबा 0.09 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 5.71 है0 की राजस्व जमाबंदी में वादनी का नाम लक्ष्मी बाई के स्थान पर विजय लक्ष्मी पुत्री शिशुपाल जाति मीना निवासी हरसोली दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार तहसीलदार मांगरोल को राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.07.2021 को सरेईजलास मजमेंआम में सुनाया गया।

(शत्रुघ्न सिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

Scanned by CamScanner